

## निदेशालय

### ॥ गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ॥

फोन - 0141-2613755, फैक्स 0141-2603407 ई-मेल : hg.trg.rj@nic.in

website: <http://home.rajasthan.gov.in/homeguards>

क्रमांक:गृरमु/प्रशि-2/पॉलिसी-1(2)/2023/2322-2378 दिनांक:- 23.01.2023

### स्थाई आदेश संख्या 03/2023

निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान में नव नियुक्त आरक्षी विगुलर/झमैन हेतु  
बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बाह्य एवं आन्तरिक)\* संलग्न परिशिष्ट अनुसार निम्नांकित चरणों में  
आयोजित किया जायेगा :-

#### प्रथम चरण :-

नव नियुक्त आरक्षी विगुलर/झमैन का बुनियादी प्रशिक्षण संलग्न परिशिष्ट "अ"  
अनुसार चार माह का होगा।

#### द्वितीय चरण :-

नव नियुक्त आरक्षी विगुलर/झमैन (प्रशिक्षणार्थी) के लिए संलग्न परिशिष्ट  
"ब" अनुसार 45 दिवस का विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान,  
फतेहपुर, बैगस, जयपुर में संचालित किया जायेगा।

#### तृतीय चरण :-

नव नियुक्त आरक्षी विगुलर/झमैन (प्रशिक्षणार्थी) फील्ड ट्रेनिंग हेतु शहरी गृह  
रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सीमा गृह रक्षा मुख्यालय एवं कम्पनी मुख्यालय पर 01-01 माह कुल अवधि  
3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उक्त प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशालय, गृह रक्षा  
द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

#### चतुर्थ चरण :-

नव नियुक्त आरक्षी विगुलर/झमैन (प्रशिक्षणार्थी) का इस चरण में संचालित  
किया जाने वाला विशेष प्रकृति का प्रशिक्षण, राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थीयों  
हेतु उपयुक्त स्थान रिक्त होने पर निदेशालय के आदेशानुसार संचालित किया जायेगा।

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के प्रशिक्षण क्रम को परिस्थिति एवं आवश्यकता  
अनुसार निदेशालय, गृह रक्षा द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा।

प्रशिक्षणार्थीयों के प्रथम व द्वितीय चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर परीक्षा में 50%  
अंक प्राप्त करने पर ही प्रशिक्षणार्थीयों को सफल घोषित किया जायेगा एवं असफल होने पर  
उसे पुनः परीक्षा में भाग लेने का अन्तिम अवसर दिया जायेगा। इसमें भी असफल होने पर  
परिवीक्षा काल में प्रशिक्षणार्थी का कार्य असंतोषजनक मानते हुए तदानुसार अग्रिम दण्डात्मक  
कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न : प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(यूआर.साहू IPS)

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा

गृह रक्षा, राजस्थान,

जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सीनियर स्टॉफ ऑफिसर- प्रथम/द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. समर्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
7. समर्त गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. उप समादेष्टा-संस्थापन/भण्डार/सिक्यूरिटी एवं एल.आर., गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. समर्त शाखा प्रभारी, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रभारी कम्प्यूटर सैल को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वैबसाईट पर<sup>W</sup>  
अद्यतन करे।

“आरक्षी आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बाह्य एवं आन्तरिक)”

आरक्षी बिगुलर/ड्रगमैन पद हेतु आधारभूत प्रशिक्षण अवधि

1.	आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	120 दिवस (04 माह / 16 सप्ताह)
2.	राजपत्रित अवकाश (रविवार, द्वितीय शनिवार व अन्य)	32 दिवस
3.	मध्यावधि परीक्षा	04 दिवस
4.	मध्यावधि अवकाश	04 दिवस
5.	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस	80 दिवस
6.	कार्य दिवस प्रति सप्ताह	06 दिवस
7.	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कालांश	
अ.	इण्डोर कालांश (05 प्रतिदिन)	$80 \times 5 = 400$
ब.	आउटडोर कालांश (04 प्रतिदिन)	$80 \times 4 = 320$
स.	खेल कालांश (01 प्रतिदिन)	$80 \times 1 = 80$
	कुल आउटडोर कालांश	$320 + 80 = 400$
	कुल कालांश	$400 + 400 = 800$
8.	कालांश अवधि	40 मिनट
9.	कुल प्रशिक्षण अवधि	120 दिवस
10.	अन्तिम परीक्षा	07 दिवस
11.	प्रशिक्षण संस्थान में कुल अवधि	127 दिवस

प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक निर्देशः—

- इण्डोर व आउटडोर प्रशिक्षण में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें असफल रहने पर उसे अंतिम परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जायेगा। परीक्षार्थी के स्वयं के प्रार्थनापत्र पर संस्था—प्रधान द्वारा अनुशंसा किये जाने पर निदेशालय द्वारा, उपयुक्त प्रकरण पाये जाने पर उपस्थिति में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
- प्रत्येक माह के अन्त में इण्डोर/आउटडोर के समस्त विषयों का कोर्स प्रभारी/कक्षा प्रभारी/स्वचौड़ प्रभारी द्वारा मासिक टेस्ट लिया जावेगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्नपत्र 10 अंक का होगा। इस मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मध्यावधि परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देशः—

- प्रशिक्षण के मध्य (इण्डोर/आउटडोर विषयों का आधा पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर) प्रत्येक विषय की मध्यावधि परीक्षा होगी।
- मध्यावधि परीक्षा संस्था प्रमुख द्वारा गठित बोर्ड द्वारा ली जायेगी।
- मध्यावधि परीक्षा में इण्डोर विषय का प्रत्येक प्रश्नपत्र 3 घण्टे का होगा।
- मध्यावधि परीक्षा में अंतिम परीक्षा के लिए निर्धारित पूर्णांक व पद्धति के अनुरूप ही प्रश्नपत्र होंगे।
- परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर उसे अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाकर उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा।

### अन्तिम परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देशः—

1. अन्तिम परीक्षा में इण्डोर प्रश्नपत्र 3 घण्टे का होगा।
2. अन्तिम परीक्षा में इन्डोर व आउटडोर परीक्षा (आन्तरिक / बाह्य) में प्रत्येक प्रश्नपत्र में 45 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
3. मध्यावधि परीक्षा के प्राप्ताकों के 30 प्रतिशत व अन्तिम परीक्षा के प्राप्ताकों के 70 प्रतिशत व आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों को समिग्नित किया जाकर अन्तिम परिणाम तैयार किया जायेगा।
4. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर / आउटडोर) एवं प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदत्त आन्तरिक मूल्यांकन के पूर्णांकों के योग का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
5. प्रश्नपत्र IV (व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, आपदा प्रबंधन एवं कम्प्यूटर ज्ञान) के पूर्णांक के 50 प्रतिशत अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा व 50 प्रतिशत अंकों की व्यवहारिक परीक्षा ली जायेगी।
6. मर्केट्री एवं फायरिंग को छोड़कर समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर / आउटडोर) परीक्षायें बोर्ड द्वारा ली जायेगी। मर्केट्री व फायरिंग की परीक्षा प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारियों द्वारा ली जायेगी। मर्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंकतालिका बोर्ड के अध्यक्ष को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी।
7. आन्तरिक मूल्यांकन प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों में रुचि व भागीदारी एवं अनुशासन के आधार पर किया जायेगा।
8. अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिन की अवधि में ही परीक्षा परिणाम से संबंधित अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।
9. छूटः— इस स्थाई आदेश की किसी भी नियम/शर्त में छूट महानिवेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

### इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्नपत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
I	भारतीय संविधान, मानवाधिकार, जिला स्तरीय प्रशासन की सामान्य जानकारी, पुलिस संगठन एवं प्रशासन	100	100
II	सामान्य कानून एवं सेवा नियम	100	100
III	कानून—व्यवस्था	100	100
IV	व्यक्तित्व विकास एवं संचार कौशल, आपदा प्रबंधन तथा कम्प्यूटर ज्ञान	100	100
कुल		400	400

### आउटडोर (बाह्य) प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्नपत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
I	शारीरिक प्रशिक्षण (पी.टी.) एवं खेल	160	75
II	ड्रिल (परेड)	137	75
III	हथियारों का ज्ञान एवं मर्केट्री	50	125
IV	दंगा / भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन	40	60
V	फील्ड क्राफ्ट व टेकिटक्स	13	45
कुल		400	380

### आन्तरिक मूल्यांकन

प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार	पूर्णांक
	20

कुल योग	800	800
---------	-----	-----

## इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

### प्रश्न पत्र—।

भारतीय संविधान, मानवाधिकार, पुलिस संगठन एवं प्रशासन

कालांश—100, पूर्णांक—100

**अ— भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार**

(कालांश—30 पूर्णांक 40)

भारतीय संविधान		
क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	प्रस्तावना	03
2	भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ	03
3	मूल अधिकार	06
4	मूल कर्तव्य	02
5	पुलिस बल के अधिकारों पर निर्वन्धन (अनुच्छेद 33)	02
6	अनुच्छेद 311	02

मानवाधिकार		
क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	मानवाधिकार की अवधारणा एवं इसका महत्व	03
2	मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा—1948 भारतीय संविधान के तहत मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम—1993 (अनुच्छेद—2 द)	03
3	राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग	06

**ब—जिला स्तरीय प्रशासन की सामान्य जानकारी**

(कालांश—25 पूर्णांक 25)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	जिला प्रशासन	5
2	न्यायिक प्रशासन	5
3	गृह रक्षा विभाग से जुड़े विभागों यथा वन विभाग, खनन विभाग, पुरातत्व विभाग, विद्युत विभाग, आबकारी एवं परिवहन विभाग इत्यादि	5
4	जुलूस, सभा, समारोह, मेलों, त्योहारों व अन्य धार्मिक अवसरों पर बल प्रबंध के मुख्य सिद्धान्त व तैनात बल के कर्तव्यों की सामान्य जानकारी	10

**स—पुलिस संगठन एवं प्रशासन**

(कालांश—45 पूर्णांक 35)

क्र. सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	भारतीय पुलिस का इतिहास	02
2	केन्द्रीय पुलिस संगठन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनआईए, बीपीआर एण्ड डी, आरपीएफ, आईबी, सीबीआई, एसएसबी, एनएसजी, एसपीजी	10
3	राज्य पुलिस का संगठन एवं प्रशासन पुलिस मुख्यालय, रेज कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत कार्यालय, पुलिस थाना, (परिचयात्मक अध्ययन) सीआईडी (सीबी), सीआईडी (एस.एस.बी) राजस्थान सशस्त्र दल (आरएसी / एमबीसी) राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी)	15

	एन्टी टैररिस्ट स्कॉर्ड (एटीएस) रपेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) राज्य अपराध रिकॉर्ड व्यूरो (एसरीआरवी) एसडीआरएफ, पुलिस दूरसंचार	
4	राजस्थान मे पुलिस कमिशनर प्रणाली	03
5	निम्न संगठनों के बारे मे संक्षिप्त जानकारी भ्रष्टचार निरोधकव्यूरो (एरीवी), विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) गृह रक्षा दल नागरिक सुरक्षा जेल प्रशासन, अग्निशमन सेवा	13
6	पुलिस के रेक एवं बैजेज अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर लगने वाले झण्डे, तारे एवं चिन्ह	02

## इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

### प्रश्न पत्र—II

#### सामान्य कानून एवं सेवा नियम

कालांश—100, पूर्णांक—100

अ—पुलिस विभाग से संबंधित नियम/अधिनियम

(कालांश—08, पूर्णांक—08)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	भारतीय दण्ड संहिता	02
2	दण्ड प्रक्रिया संहिता	02
3	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	02
4	राजस्थान पुलिस अधिनियम—2007	02

ब—गृह रक्षा विभाग से संबंधित नियम/अधिनियम

(कालांश—06, पूर्णांक—06)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम—1963	02
2	राजस्थान गृह रक्षा नियम—1962	02
3	राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम—2021	02

स—स्थानीय एवं विशेष अधिनियम

(कालांश—30, पूर्णांक—30)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	आयुध अधिनियम 1959	02
2	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम—1908	02
3	भारतीय विस्फोटक अधिनियम—1884	02
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989	02
5	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम—1972	02
6	राजस्थान वन अधिनियम—1953	02
7	बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम—2012	02
8	लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम—1984	02
9	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951	03
10	लोक गारण्टी अधिनियम—2012	02
11	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013)	02
12	राजस्थान सूचना का अधिकार नियम—2005	07

द—कार्य संचालन प्रक्रिया

(कालांश—56, पूर्णांक—56)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	राजस्थान सेवा नियम, 1951	08
2	राजस्थान अपिल एवं वर्गीकरण नियम, (CCA RULES), 1958	08
3	सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम,	10
4	कार्यलय कार्य पद्धति	10

5	भण्डार एवं हाथियार रक्षारण	10
6	अदीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के बेतन गहराई भत्ते, गाड़ा भरता, चर्दी भरता तथा अन्य महत्वपूर्ण भत्ते एवं उससे सम्बंधित गुण।	05
7	राजरथान शरकार की शास्त्रीय गोलना (RGHS), राज्य बीमा, एनबीएस / ओटीएस (ऑफिशियल सर्टीफ) की जानकारी	05

## इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

### प्रश्न पत्र-III

#### कानून-व्यवस्था

कालांश-100, पूर्णांक-100

#### अ- कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा

(कालांश-30, पूर्णांक-30)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	विधि विरुद्ध जमाव को तितर-वितर करना तथा न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग	4
2	साम्प्रदायिक हिंसा और दंगे फराद नियंत्रित करने में बल की भूमिका और राजरथान पुलिस नियम, 1948 का नियम 184, 185, 189 आदि।	4
3	जुलूस, सभा, समारोह को शांतिपूर्ण नियंत्रित करने में तैनात बल की भूमिका व कर्तव्य,	4
4	मेलो (केस स्टडी-उर्स मेला), त्योहारों व अन्य धार्मिक अवसरों पर बल प्रबंध के मुख्य सिद्धान्त व तैनात बल का कर्तव्य	4
5	धार्मिक तथा जातीय दंगे की स्थिति में बल के कर्तव्य व सहयोग	5
6	कपर्दी दंगा ग्रस्त क्षेत्र में जान-माल की सुरक्षा व्यवस्था तथा कपूर्य, पलैग मार्च, पिकेट्स एवं नाकाबंदी	5
7	रेल्वे व वाहन दुर्घटना के समय तैनात बल के कर्तव्य	4

#### ब- सुरक्षा व इन्टेलिजेन्स

(कालांश-30, पूर्णांक-30)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	विशिष्ट व्यक्ति को अर्थात् राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट या हेलिपेड, रुट लाइनिंग पर, सभा स्थल पर पुलिस इंतजाम में कानि. के कर्तव्य	04
2	एंटी सबोटेज चैकिंग	04
3	महत्वपूर्ण संरथानों यथा मंदिर पुरातत्व स्थल, बांध, विद्युत संयंत्र, ऑयल डिपो इत्यादि की सुरक्षा जोखिम विश्लेषण तथा मूल्यांकन	07
4	विस्फोटक पदार्थों तथा बम संबंधी ज्ञान एवं सुरक्षात्मक कार्यवाहियाँ	04
5	पी.एस.ओ. के कर्तव्य तथा शिफ्ट आचरण	04
6	वी.आई.पी सुरक्षा के आधारभूत सिद्धान्त एवं तकनीकी उपकरण-सीसीटीवी, एचएचएमडी, डीएफएमडी, डीएसएमडी जैमर इत्यादि	07

#### स- चुनाव व्यवस्था

(कालांश-10, पूर्णांक-10)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने हेतु तैनाती पर पुलिस कानिस्टरेवल/होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी के नियम <ul style="list-style-type: none"> <li>a. चुनाव पार्टी की सुरक्षा</li> <li>b. मतपत्रों की सुरक्षा</li> <li>c. मतपेटियों की सुरक्षा</li> <li>d. मतदान केन्द्र पर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना</li> <li>e. मतदान पेटियों की एस्कोर्ट ड्यूटी</li> </ul>	10

### द-पर्यावरण संरक्षण तथा दायित्व

(कालांश-05 पूर्णांक-05)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	पर्यावरण का आशय तथा यायुजल व ध्यनि प्रदूषण के निवारण में जावान की भूमिका	02
2	पर्यावरण जागरूकता, वृक्षारोपण, रवच्छता अभियान, जल रास्ता अभियान	02
3	जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या	01

### य-प्राथमिक चिकित्सा

(कालांश-10 पूर्णांक-10)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	प्राथमिक चिकित्सा- फर्स्ट एड, रक्त स्त्राव बंद करने के तरीके, पट्टी के प्रकार व बांधने के तरीके, दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा, कृत्रिम श्वसन की विधियाँ	08
2	सामाजिक रचारण	02

र-कानिस्टेबल के बटालियन मुख्यालय में कर्तव्य, कृत्य तथा भूमिका (कालांश-15, पूर्णांक-15)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	क्वार्टर गार्ड संतरी ड्यूटी	04
2	मुख्य प्रवेश द्वार पर संतरी ड्यूटी-वाहनों तथा आगन्तुकों की चैकिंग	04
3	मैगजीन तथा कोत पर ड्यूटी	04
4	मैस मेम्बर कानिस्टेबल की ड्यूटी	02
5	कंट्रोल रूम में टेलिफोन ड्यूटी	01

## इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

### प्रश्न पत्र-IV

व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, आपदा प्रबंधन एवं कम्प्यूटर ज्ञान

कालांश-100, पूर्णांक-100

(कालांश-20 पूर्णांक-20)

### अ- व्यक्तित्व विकास एवं संचार कौशल

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	मानव व्यवहार की परिभाषा एवं प्रकार	02
2	मानव व्यवहार-व्यक्तिगत एवं समूह में, लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा वे करते हैं।	02
3	नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा	02
4	तनाव प्रबंधन तनाव के कारण एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव, तनाव को दूर करने के उपाय क्रोध नियंत्रण, कार्यस्थल पर आक्रमकता पर नियंत्रण	04
5	समय प्रबंधन- परिभाषा, उपयोगिता, प्राथमिकता सिद्धांत	05
6	टीम भावना- उद्देश्य, उपयोगिता एवं राजकार्य में टीम भावना	05

### ब-संचार कौशल

(कालांश-10 पूर्णांक-10)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	प्रभावी मौखिक संवाद एवं इसकी उपयोगिता	02
2	मौखिक संवाद की तकनीक	02
3	मौखिक संवाद में अवरोध	01
4	श्रवण कौशल	01
5	संचार में शिष्टाचार	02
6	शारीरिक हाव-भाव एवं राजकीय सेवा में इसकी उपयोगिता	02

### स- आपदा प्रबंधन

(कालांश-15 पूर्णांक-15)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	प्राकृतिक आपदा पर जन साधारण की सहायतार्थ तैनात सशस्त्र दल के सदस्य की भूमिका तथा लोक सम्पत्ति की रक्षा में सहयोग:- अकाल, बाढ़ भूकम्प, तूफान तथा चक्रवात, ज्वालामुखी, अग्नि की विभीषिका, जल प्लावन तथा समुद्री तूफान, भू-स्खलन, सुनामी कहर, महामारी-कोरोना	15

*Bamm*

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	<b>रीज़ोनिक ज्ञान</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>कम्प्यूटर की सामान्य जागरूकता रीज़ीमू, मॉनीटर, टी-बोर्ड और माउस</li> <li>सॉफ्टवेयर एवं उसका महत्व, सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ज्ञान</li> <li>एन्टी वायरस एवं फायरवाल का महत्व</li> <li>इन्टरनेट एवं इंटरनेट का परिचय</li> <li>कम्प्यूटर नेटवर्क LAN, WAN का परिचय और उसमें प्रयोग किये जाने वाले उपकरण</li> <li>वाई-फाई, लीज लाईन, साल, वैण्ड, मॉडेम की जागरूकता</li> </ul>	10
2	<b>व्यावहारिक (प्रैविटकल) प्रशिक्षण</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>कम्प्यूटर का उपयोग</li> <li>एम.एस.रड़ एवं एम.एस.एस.एस.ल, पावर पॉइंट</li> <li>प्रणाली में समस्या नियारण</li> <li>कम्प्यूटर की देखरेख</li> <li>LAN की देखरेख</li> <li>UPS की देखरेख</li> <li>कम्प्यूटर प्रिन्टर, स्कैनर, फिंगर प्रिन्ट, वेब कैमरा इत्यादि का संचालन व इनकी देखरेख</li> </ul>	45

**आउटडोर (बाह्य) प्रशिक्षण कार्यक्रम**

(कालांश-320, पूर्णक-380)

**प्रश्न पत्र—।**  
**शारीरिक प्रशिक्षण (पी.टी. एवं खेल)**

(कालांश-160 पूर्णक 75)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	पी.टी. फी हैण्ड व 5 बी.एक्स. चार्ट नं. 01 से 06 तक	25
2	योगासन	07
3	ग्राउण्ड वक्र	05
4	रोप वक्र	05
5	घोड़ा (महिलाओं हेतु आँड़ा व पुरुषों हेतु लम्बा भी)	05
6	वॉक एण्ड रन	14
7	यू.ए.सी.	10
8	बीम वक्र	05
9	असाल्ट	04
10	खेल (कोई अंक देय नहीं)	80
योग:-		160

**प्रश्न पत्र—॥****ड्रिल (परेड)**

(कालांश-137 पूर्णक 75)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	खाली हाथ ड्रिल	35
2	राइफल सहित ड्रिल	38
3	राइफल अभ्यास	18
4	केन ड्रिल	03
5	गार्ड ड्यूटी	06
6	प्लाटून ड्रिल	10
7	सरेमानियल ड्रिल	10
8	सम्मान गार्ड	10
9	अन्येष्टि कवायद	02
10	यातायात संकेत	05
11	टर्न आउट	-
योग:-		137

**प्रश्न पत्र-III**  
**हथियारों का ज्ञान एवं मरकेटी**  
 (कालांश-50 पूर्णांक 125)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	इन्सारा 5.56 एगएम	08
2	एस.एल.आर. 7.62 एगएम	07
4	राइफल .22 की जानकारी	02
6	रेनगन/कावाईन 9 एगएम/पिरटल 9 एगएम	10
7	विस्फोटक व बम डिस्पोजल	03
8	फायरिंग व मरकेटी (इन्सारा/एस.एल.आर./कावाईन/पिरटल)	20
योग:-		50

**प्रश्न पत्र-IV**  
**दंगा/भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन**  
 (कालांश-40 पूर्णांक 60)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	लाठी ड्रिल	06
2	सड़क पवित्र	01
3	बलवा परेड (भीड़ नियंत्रण ड्रिल)	15
4	रबड़ बुलेट्स, अश्रु गैस, गैस मारक, प्लास्टिक ढाल, हैलमेट केन, वाटर कैनन व वज्र वाहन	10
5	प्राथमिक उपचार	03
6	आपदा प्रबंधन	05
योग:-		40

**प्रश्न पत्र-V**  
**फील्ड क्राफ्ट व टेक्टिक्स**  
 (कालांश-13 पूर्णांक 45)

क्र.सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	फील्ड क्राफ्ट	02
2	एन्डूश, पैट्रोलिंग	02
3	घेराबन्दी, दबिश व तंताशी	03
4	नाकाबन्दी	03
5	वी.आई.पी.सुरक्षा	03
योग:-		13

**आंतरिक मूल्यांकन**  
**प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार द्वारा आंतरिक मूल्यांकन**  
 (पूर्णांक 20)

क्र.सं.	विषय वस्तु	पूर्णांक
1	प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार	20

Signature:

**"केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में विभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम  
(बाह्य एवं आन्तरिक)"**

आरक्षी विगुलर/इमैन पद के लिए विभागीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण अवधि

1.	आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	45 दिवस
2.	राजपत्रित अवकाश (रविवार, शनिवार व अन्य)	12 दिवस
3.	मध्यावधि अवकाश	01 दिवस
4.	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिवस	32 दिवस
5.	कार्य दिवस प्रति सप्ताह	05 दिवस
6.	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कुल कालांश	
अ.	इण्डोर कालांश (05 प्रतिदिन)	$32 \times 5 = 160$
ब.	आउटडोर कालांश (03 प्रतिदिन)	$32 \times 3 = 96$
स.	खेल कालांश (01 प्रतिदिन)	$32 \times 1 = 32$
	कुल आउटडोर कालांश	$96 + 32 = 128$
	कुल कालांश	$160 + 128 = 288$
7.	कालांश अवधि	40 मिनट
8.	कुल प्रशिक्षण अवधि	32 दिवस
9.	प्रशिक्षण संस्थान में कुल अवधि	45 दिवस

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर में आयोजित द्वितीय चरण में संचालित प्रशिक्षण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

1. इण्डोर व आउटडोर प्रशिक्षण में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें असफल रहने पर उसे अंतिम परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जायेगा। परीक्षार्थी के स्वयं के प्रार्थनापत्र पर संस्था-प्रधान द्वारा अनुशंसा किये जाने पर निदेशालय द्वारा, उपयुक्त प्रकरण पाये जाने पर उपस्थिति में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
2. प्रत्येक सप्ताह के अन्त में साप्ताहिक टेस्ट लिया जावेगा, जो 20 अंको का होगा।
3. अंतिम परीक्षा में इण्डोर विषय का प्रश्नपत्र 3 घण्टे का होगा।
4. अंतिम परीक्षा में इन्डोर व आउटडोर परीक्षा (आंतरिक/बाह्य) में प्रत्येक प्रश्नपत्र 100–100 अंकों का होगा जिसमें 45% अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
5. प्रशिक्षण के अन्त में ली जाने वाली आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एवं प्रशिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ली गयी साप्ताहिक एवं अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के पूर्णांकों के योग का 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना प्रशिक्षणार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है।
6. अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन की अवधि में ही परीक्षा परिणाम से संबंधित अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।
7. छूट:- इस स्थाई आदेश की किसी भी नियम/शर्त में छूट महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

*Sharma*

**केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में विभागीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम\***  
**इण्डोर (आन्तरिक) प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्र.सं.	विषय	कालांश
1	होमगार्ड का संगठन एवं भूमिका	05
2	राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1963	04
3	राजस्थान होमगार्ड नियम 1962	04
4	राजस्थान होमगार्ड अधिनस्थ सेवा नियम - 2021	06
5	होमगार्ड सदस्यता हेतु नामांकन प्रक्रिया	05
6	सदस्यों को दिये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों की प्रक्रिया लक्ष्य इत्यादि	05
7	होमगार्ड सदस्यों के नियोजन की प्रक्रिया	05
8	होमगार्ड सदस्यों को रिकार्ड संचारण (पी.एफ..ड्यूटी रजिस्टर, सम्पर्क परेड रजिस्टर)	08
9	सम्पर्क परेड एवं ड्यूटी नियोजन की प्रक्रिया	08
10	अनुशासनहीन सदस्य के संबंध में डिस्चार्ज हेतु की जाने वाली प्रक्रिया	04
11	होमगार्ड सदस्यों के नवीनीकरण की प्रक्रिया	04
12	गृह रक्षा मुख्यालय द्वारा जारी रथायी आदेश	05
13	राज्य पुलिस व प्रशासन के साथ होमगार्ड की भूमिका	05
14	आपदा के समय होमगार्ड की भूमिका	07
15	बोर्डर होमगार्ड का सामान्य परिचय एवं सदस्यों का नामांकन	07
16	भण्डार के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया एवं रिकार्ड संधारण	6
17	अनुपयोगी सामान की निलामी एवं नाशन	6
18	विभाग को अधिकृत हथियारों के सम्बन्ध में जानकारी	4
19	वार्षिक निरीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया	5
20	विभागीय वेलफरेंस नियम एवं कार्मिकों को दी जाने वाली सुविधाएं	3
21	निजी सुरक्षा अभिकरण से सम्बन्धित सामान्य जानकारी	10
22	कम्प्यूटर से सम्बन्धित जानकारी	3
23	कोर्ट केसेज के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी	4
24	सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी	10
25	कार्यलय कार्य की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी	6
26	वाहन एवं लेखा के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी	6
27	चुनाव सम्बन्धी ड्यूटी की जानकारी	5
28	साप्ताहिक परीक्षा	4
29	कोर्स समाप्ति पर परीक्षा	4
	कुल योग	160

**आउटडोर (बाह्य) प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्र.सं.	विषय	कालांश	पूर्णांक
1	शारीरिक प्रशिक्षण (पी.टी.) एवं खेल	64	30
2	ड्रिल (परेड) खाली हाथ	14	15
3	ड्रिल (परेड) हथियार के साथ	15	15
4	हथियारों का ज्ञान एवं मरकेट्री	15	20
5	दंगा / भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन	10	10
6	गार्ड माउटिंग एवं फायर फाईटिंग	10	10
	योग	128	100

आंतरिक विषयों की साप्ताहिक एवं अन्तिम परीक्षाओं का योग	-	200
कुल योग	288	300

Sharma